

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), अयोध्या

पत्र संख्या: 1873 /अधि०/स०सु०/2020

दिनांक: 16, जून 2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्या जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

| क्र० सं | मार्ग का नाम एवं संख्या | स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निर्बंधित रहेगी | यान की श्रेणी अनुसार निर्बंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा | | | |
|---------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | टू छीलर/ थी छीलर | चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान | चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान | समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | फैजाबाद (अयोध्या) से दर्शननगर-पूराबाजार- मया बाजार-गोशाईगंज-अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) (राष्ट्रीयकृत मार्ग) | फैजाबाद (अयोध्या) से दर्शननगर-पूराबाजार- मया बाजार तक | 40 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 50 कि०मी० प्रति घण्टा |
| 2. | फैजाबाद (अयोध्या) से मुस्ताजनगर-सोहावल-रौनाही -भेलसर-बाराबंकी मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग) | फैजाबाद (अयोध्या) से सोहावल रौनाही तक | 40 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 50 कि०मी० प्रति घण्टा |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | फैजाबाद (अयोध्या) से इनायतनगर—कुचेरा बाजार—मिल्कीपुर—कुमारगंज—हलियापुर—जगदीशपुर मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग) | फैजाबाद (अयोध्या) से इनायतनगर कुचेरा बाजार तक | 40 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 50 कि०मी० प्रति घण्टा |
| 4. | फैजाबाद (अयोध्या) से मसौधा—पूराकलन्दर—भरतकुण्ड—बीकापुर—कूड़भार—सुल्तानपुर मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग) | फैजाबाद (अयोध्या) से मसौधा—पूराकलन्दर—भरतकुण्ड—बीकापुर तक | 40 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 50 कि०मी० प्रति घण्टा |
| 5. | फैजाबाद (अयोध्या) से कटरा—बस्ती—गोरखपुर मार्ग (राष्ट्रीयकृत मार्ग) | फैजाबाद (अयोध्या) से —नया घाट तक | 40 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 60 कि०मी० प्रति घण्टा | 50 कि०मी० प्रति घण्टा |

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

- (i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा— 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर—प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह—जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो—रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- (ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—
 - अ) अग्नि शमन वाहन
 - ब) एम्बुलेंस ।
 - स) पुलिस वाहन।
 - द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
 - य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।
- (iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम— 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 का

1-2

59) की धारा— 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक— 06-04-2018, समय—समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(नन्द कुमार) ३१.३.२०८

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अयोध्या।

पृ०सं०— स०सु० / २०२० समदिनांकित—

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ०प्र०।
- 3— जिला अधिकारी, अयोध्या।
- 4— पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
- 5— निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 6— अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय / निमार्ण खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, अयोध्या।
- 7— राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी / पश्चिमी), लखनऊ, उ०प्र०।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अयोध्या।